

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक - 02/06/2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, (संशोधन) अधिनियम-2015 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अधीन केन्द्रांश में ₹8,01,000/- (आठ लाख एक हजार रूप) एवं राज्यांश में ₹8,01,000/- (आठ लाख एक हजार रूप) अर्थात् कुल ₹16,02,000/- (सोलह लाख दो हजार रूप) मात्र की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11014/23/2012-PCR (Desk) दिनांक-16/02/2017 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विमुक्त राशि के आलोक में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, (संशोधन) अधिनियम-2015 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अधीन केन्द्रांश में ₹8,01,000/- (आठ लाख एक हजार रूप) एवं राज्यांश में ₹8,01,000/- (आठ लाख एक हजार रूप) अर्थात् कुल ₹16,02,000/- (सोलह लाख दो हजार रूप) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है।

3- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस स्वीकृत राशि से आवंटन जिलों को मांग के आलोक में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त किया जायेगा।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

5- इस राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध-1[नियम-12(4)] में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामुहिक हत्या, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीडितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत (i) पीडित/पीडिता को वैधिक सहायता, (ii) पीडित/पीडिता को यात्रा भत्ता, (iii) पीडित/पीडिता को दैनिक भत्ता, (iv) पीडित/पीडिता को राहत और पुनर्वास (v) प्रचार-प्रसार (vi) जागरूकता (vii) पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) के अधीन अनु० जाति और अनु० जनजाति संरक्षण कक्ष, (viii) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7- केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0221-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0221.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770221 पी०एफ० एम०एस० कोड 9488 तथा राज्यांश के लिए मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0321-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0321.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770321 पी०एफ० एम०एस० कोड 9488 से विकल्पनीय है।


8- इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

9- इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-04-2018 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

10- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- के पृ०- /टि० पर प्राप्त है।

11- इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से .


(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- 16

पटना, दिनांक- 02/06/2017

प्रतिलिपि : 1-वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (क० व०) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक (कम्प्यूटर), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- 16

पटना, दिनांक- 02/06/2017

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के सचिव।